कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 14( )2020/संयुक्त रोड़/एफसीए/प्रमुवसं/ दिनांक

वृक्षों के पातन एवं कार्य प्रारम्भ करने की अंतरिम स्वीकृति

जिला अजमेर/भीलवाड़ा/राजसमंद एवं वनमण्डल अजमेर/भीलवाड़ा/वन्यजीव, राजसमंद में प्रस्ताव सं. FP/RJ/ROAD/45258/2020 के लिए widening and Improvement of existing road to Two lane with paved shoulder from Design Chainage km 30.050 to km 74.000 (Beawar to Asind) section of NH 158 के निर्माण हेतु **4.9666 है0** वनभूमि के प्रत्यावर्तन की सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर, लखनऊ के पत्रांक 8बी/राज/06/38/2020/ एफसी/13 दिनांक 13.05.2021 द्वारा जारी की गई थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लीनियर प्रोजेक्ट हेतु जारी दिशा–निर्देश क्रमांक 11–306/2014–एफसी दिनांक 28.08.2015 की अनुपालना में भारत सरकार द्वारा जारी उपरोक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तों के अध्यधीन प्रस्तावित क्षेत्र में वृक्षों के पातन एवं कार्य प्रारम्भ करने की अंतरिम स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैं।

1. यह स्वीकृति, जारी करने की तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगी।
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर यह अंतरिम स्वीकृति प्रत्याहरित की जा सकती है एवं प्रयोक्ता अभिकरण के विरूद्ध वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् कार्यवाही अमल में लायी जा सकती हैं।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अंतरिम स्वीकृति अनुसार 1 वर्ष की अवधि में कार्य अपूर्ण रहने की स्थिति में समय रहते अभिवृद्धि हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संबंधित उप वन संरक्षक के निर्देशानुसार/पर्यवेक्षण में कार्य किया जायेगा।

(डॉ. डी.एन. पाण्डेय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF),
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ 14( )2020/संयुक्त रोड़/एफसीए/प्रमुवसं/ 2405-16 दिनांक 19/8/21

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक (एफसी डिवीजन), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई–दिल्ली–110001
2. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र) पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024 (उ0प्र0)
3. शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर।
5. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (IT), जयपुर को दी जाकर निवेदन है कि इस स्वीकृति की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
6. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर/(वन्यजीव), उदयपुर।
7. उप वन संरक्षक, अजमेर/भीलवाड़ा/वन्यजीव, राजसमंद को दी जाकर निर्देशित है कि समय–समय पर निरीक्षण कर भारत सरकार द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तो की पालना सुनिश्चित करें।
8. परियोजना निदेशक, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, पीआईयू, 1 ए, माणक कॉलोनी, देलवाड़ा रोड़, ब्यावर–305901
9. रक्षी पत्रावली।

DCF(IT) 19/8

(डॉ. गोबिन्द सागर भारद्वाज)
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

Programmer
DCF(IT)
25/8/2021

D:\Dharmendra Computer Office Data\Office documents\New Current File\New a.doc